बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (सीवान) 02–91/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, सीवान सदर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक–1027/स्था0, दिनांक–22.10.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में बिना किसी सक्षम आदेश एवं विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना मृत व्यक्ति के नाम से जमाबंदी सृजित कर दी गई है। इनका यह कृत्य लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, उदासीनता एवं पदेन दायित्वों के निर्वहन में चूक करने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये।

2. जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–1900(15), दिनांक–08.12.2022 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप अत्यन्त गंभीर प्रकृति के है। इनका स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य है। मृत व्यक्ति के नाम से जमाबंदी का सृजन एवं उसके तत्काल बाद भूमि का दाखिल खारिज तथा एक साथ 63 वर्षों की लगान रसीद का निर्गत होना, तत्पश्चात् तुरन्त भूमि का विक्रय होने से स्पष्ट है कि पूरे प्रक्रम में संबंधित कर्मियों की मिलीभगत थी। उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप की गंभीरता के मद्देनजर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत इस मामले की सम्यक् जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, सीवान को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, साथ ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सीवान को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अपर समाहर्त्ता, सीवान/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सीवान/श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, सीवान सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुशील कुमार),

निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (सीवान) 02–91/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सीवान को उनके पत्रांक–1027/स्था0, दिनांक–22.10.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. निदेशानुसार इस प्रकरण से सम्बद्ध अन्य सभी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाए

2. अनुरोध है कि उपस्थापन पदाधिकारी को आरोप से संबंधित अभिलेख उपलब्ध करायें, ताकि सुनवाई में आवश्यकतानुसार अभिलेख उपलब्ध हो सके।

ह0/–
(सुशील कुमार),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–15/आरोप (सीवान) 02–91/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, सीवान को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ कर जाँच प्रतिवेदन ससमय तीन प्रतियों में विभाग को उपलब्ध करायें।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(सुशील कुमार),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–15/आरोप (सीवान) 02–91/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, सीवान सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(सुशील कुमार),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (सीवान) 02–91/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(सुशील कुमार),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (सीवान) 02–91/2022– 1059 –(15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 29/5/23

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/5/23
(सुशील कुमार),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव।